प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 46/22 दिनांक – 16/02/2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7 ए
   (ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (स) अधिनियम – .... धाराये – ....
   (द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 335 समय – 12:10 pm
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 15.02.2022 समय – 01.21 पी.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 29.01.2022 समय – 01.10 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उत्तर 5 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– बकरा मण्डी कालिया दूका स्थित फैक्ट्री
   बीट संख्या जरायमदेही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
   1. (अ) नाम – हमजा खान (ब) पिता/पति का नाम – श्री मोहम्मद याकूब
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 25 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – फैक्ट्री व्यवसाय (र) पता – शेखों का मोहल्ला, खाण्डा फलसा जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 138, हाथी का नोहरा, उम्मेद चौक जोधपुर हाल ठेका कर्मी, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग जोधपुर।

8- परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 3,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............. कोई नहीं...........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट...

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
विशेष ईकाई जोधपुर

विषयः— रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवानें बाबत।

महोदयजी,

सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं कपड़े की रंगाई छपाई का कार्य करता हूं। मेरे बकरा मण्डी कालिया दूका में कपड़े रंगाई की एक फैक्ट्री है, जहां पर कई वर्षों से पानी का घेरेलू कनेक्शन लिया हुआ है। दिनांक 21.01.2022 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी श्री महिपाल मेरी फेक्ट्री आकर मुझे बोले की तुम्हारे घेरेलू पानी के कनेक्शन पर व्यवसायी कार्य में पानी को काम ले रहे हो, जिससे तुम्हारे में बहुत बड़ी पेनल्टी भरवा दूंगा व घेरेलू कनेक्शन काटकर व्यवसायी कनेक्शन जारी कर दूंगा। यदि तुम्हे पेनल्टी नहीं भरवानी है तो प्रति कनेक्शन 500 रूपये के हिसाब से तुम्हारे दोनों घेरेलू कनेक्शन के बदले में 1000 रूपये रिश्वत की राशि मुझे दे दो ताकि साल भर तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे मोहल्ले में बहुत से हमारी जाति के लोग कपड़ा रंगाई का काम करते है। उन सभी से भी प्रति कनेक्शन 500 रूपये रिश्वत ले रहा है व भारी मात्रा में डरा धमका कर रिश्वत राशि संग्रहण कर रहा है। श्रीमान मैं मेरी फेक्ट्री में रंगाई का कार्य पिछले 20 वर्षो से कर रहे है व आज तक पानी का कोई बिल पेण्डिंग नहीं है। उसके बावजूद व्यवसायी कनेक्शन कराने के नाम पर श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर डरा धमका कर अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता हूं। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी विभाग जोधपुर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई वैध लेन—देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो प्रति व पानी के बिल की प्रति पेश कर रहा हूं।

भवदीय

एसडी
हमजा 29—01—22
हमजा खान
पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा
मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का
मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर
मोबाईल नं. 9782427169

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 29.01.2022 समय 1.10 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट लेकर कार्यालय उपस्थित हुआ। मजमून रिपोर्ट सें मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
29/01/2022

एसडी
(मनीष कुमार बिश्नोई)
15/2/22

एसडी
(विनोद कच्छवाह)
15/02/2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 01.10 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि ''मैं हमजा खान पुत्र श्री मोहम्मद याकूब जाति चडवा मुसलमान उम्र 25 साल निवासी शेखों का मोहल्ला खाण्डा फलसा जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं कपड़े की रंगाई छपाई का कार्य करता हूं। मेरे बकरा मण्डी कालिया दूका में कपड़े रंगाई की एक फैक्ट्री है, जहां पर कई वर्षों से पानी का घेरेलू कनेक्शन लिया हुआ है। दिनांक 21.01.2022 को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी श्री महिपाल मेरी फेक्ट्री आकर मुझे बोले की तुम्हारे घेरेलू पानी के कनेक्शन पर व्यवसायी कार्य में पानी को काम ले रहे हो, जिससे तुम्हारे में बहुत बड़ी पेनल्टी भरवा दूंगा व घेरेलू कनेक्शन काटकर व्यवसायी कनेक्शन जारी कर दूंगा। यदि तुम्हे पेनल्टी नहीं भरवानी है तो प्रति कनेक्शन 500 रूपये के हिसाब से तुम्हारे दोनों घेरेलू कनेक्शन के बदले में 1000 रूपये रिश्वत की राशि मुझे दे दो ताकि साल भर तुम्हे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे मोहल्ले में बहुत से हमारी जाति के लोग कपड़ा रंगाई का काम करते है। उन सभी से भी प्रति कनेक्शन 500 रूपये रिश्वत ले रहा है व भारी मात्रा में डरा धमका कर रिश्वत राशि संग्रहण कर रहा है। श्रीमान मैं मेरी फेक्ट्री में रंगाई का कार्य पिछले 20 वर्षो से कर रहे है व आज तक पानी का कोई बिल पेण्डिंग नहीं है। उसके बावजूद व्यवसायी कनेक्शन कराने के नाम पर श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर डरा धमका कर अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहा है। जो मैं देना नहीं चाहता हूं। बल्की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी विभाग जोधपुर से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई वैध लेन–देन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करावें। प्रार्थना पत्र के साथ मेरा पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो प्रति व पानी के बिल की प्रति पेश कर रहा हूं।'' परिवादी की टाईपशुदा लिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री हमजा खान को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई।

वक्त 01.25 पी.एम. पर कार्यालय के श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. व परिवादी श्री हमजा खान का आपसी परिचय करवाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 को सुपर्द कर परिवादी श्री हमजा खान व आरोपी श्री महिपाल कर्मचारी पीएचईडी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री हमजा खान एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. को कार्यालय से परिवादी के निजी मोटरसाईकिल से परिवादी के फैक्ट्री हेतु रवाना किया गया।

वक्त 02.10 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र कानि. व परिवादी श्री हमजा खान कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा श्री रामचन्द्रसिंह कानि ने कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि मैं एवं परिवादी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी की बकरा मण्डी कालिया दूका स्थित फैक्ट्री पहुंचे। जहां थोड़ी देर बाद श्री महिपाल के आने से पूर्व मेरे द्वारा परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द किया गया तथा मन् कानि. आस पास मुकिम रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल पर परिवादी के फैक्ट्री के गेट पर आकर रूका एवं परिवादी से बात करके चला गया। तब परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवादी ने मुझे बताया कि श्री महिपाल सिंह कर्मचारी पीएचईडी जोधपुर ने मुझसे प्रति कनेक्शन 500 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है। जिस पर मैं मय परिवादी के उसकी फैक्ट्री से रवाना होकर पुनः कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जिस पर परिवादी ने भी श्री रामचन्द्रसिंह कानि. के बताए तथ्यों पर सहमति जाहिर की। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर को ऑन कर सुना गया तो परिवादी श्री हमजा खान एवं आरोपी श्री महिपालसिंह के मध्य वार्ता होना तथा दौराने वार्ता आरोपी श्री महिपालसिंह द्वारा 500 रूपये प्रति कनेक्शन की रिश्वत राशि की मांग करना एवं अन्य लोगों के भी नाम बताना जिनसे पैसे लिये है, की पुष्टि होना पाया गया। कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आईन्दा रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार की जावेगी।